

Chapter 4- अध्याय 4
कार्य के निर्वहन के लिये निर्धारित मानदण्ड
(धारा 4(1) (बी)(v) और (vi))

सेवा क्र	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1	मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित ऑनलाईन द्वारा बोर्ड में भेजने हेतु 45 कार्य दिवस।	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड
		सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड	जिला शिक्षा अधिकारी से निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा सहित ऑनलाईन/ऑफलाईन प्राप्त होने पर पंजीयन एवं नवीन मान्यता जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस।	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण, म.प्र.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड
2	मदरसा मान्यता का नवीनीकरण	सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड	ऑनलाईन आवेदन पश्चात आवेदन की हार्ड-कॉपी सहपत्रों सहित प्राप्त होने पर*-	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण, म.प्र.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड
			अ स्कूटनी उपरांत आवेदन पूर्ण पाये जाने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस।			
			ब आवेदन की स्कूटनी में कमी पाये जाने पर आवेदक को अवगत कराने हेतु 30 कार्य दिवस।			
			स कमी की पूर्ती बोर्ड में प्राप्त होने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस।			
3	समिति पंजीयन	सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड	ऑनलाईन आवेदन पश्चात आवेदन की हार्ड-कॉपी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात समिति पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस।	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण, म.प्र.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड
4	समिति का नवीनीकरण	सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड	अ ऑनलाईन आवेदन पश्चात आवेदन की हार्ड-कॉपी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने पर पदाधिकारी पूर्वानुसार होने की स्थिति में समिति नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस।	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण, म.प्र.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. मदरसा बोर्ड
			ब बिन्दु क्र.- अ के अन्तर्गत पदाधिकारी पूर्वानुसार नहीं होने की स्थिति में ठहराव प्रस्ताव मंगाने हेतु 30 कार्य दिवस।			
			स बिन्दु क्र.- ब की कमी-पूर्ती होने के उपरांत 30 कार्य दिवस।			

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)	म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 एवं बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा लिये गए निर्णय राज्य शासन द्वारा निर्धारित सेवा नियम/अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के निर्णय अनुसार।
किसी किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?	प्रत्येक मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रकरण कार्यालय के संबंधित कक्ष प्रभारी को प्रस्तुत किये जाते हैं तत्पश्चात् विषयों से संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रकरण निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।
लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक है ?	आवश्यकतानुसार जनता को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है।
विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है ?	कार्यालय में विभिन्न विषयों के लिए अधिकारी नामांकित हैं उन्हीं के परामर्श से निर्णय लिये जाते हैं।
अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी ?	बोर्ड अध्यक्ष/सक्षम समिति/बोर्ड की कार्यकारिणी एवं अधिनियम के प्रावधानानुसार